Serial No. 9116 Book No. :- 4 Deed No. 41

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

बिहार BIHAR

L 647071

Serial No. 9116 Deed No. 41

Govt. of Bihar
Sub Registry Office ,Jehanabad
Summary of Endorsement

This document was presented for registration on 02/11/2013 by Chandrika Prasad
A Stamp Duty of Rs. 5000/- and other Fees of Rs. 2340/- has been paid in it.
The document was found admissible. The Names, Photographs, Fingerprints and Signatures of the Executants and their Identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.
The document has been registered as Deed No. 41 in Book No. 4, Volume No. 2 on pages from 123 to 135 and has been preserved in total 13 pages in C.D. No. 1 / Year 2013

Signature with Date
(Riwa Choudhary)

Date: 02/11/2013 **Token No: 9178 / 2013** **Registering Officer, Jehanabad**

ट्रस्ट डीड

नेशनल एडुकेशनल डेवलपमेंट ट्रस्ट,
पता : कोर्ट एरिया, जहानाबाद
मुख्यालय :–चन्द्रकुंज अपार्टमेंट,102
पटना डेन्टल हॉस्पीटल बिल्डींग,
एक्जीविशन रोड चौक, पटना।

Scanned with OKEN Scanner

Sub District Registry Office,Jehanabad

Token Number 9178	Reg. Year 2013	Serial Number 9116	Deed Number 41

PresType	Name	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little
Presented By	Chandrika Prasad						
Sig.	चन्द्रिका प्र० 2/11/13						
Trustee	Chandra Prakash						
Sig.	चन्द्र प्रकाश 2/11/13						
	Chandrika Prasad						
Sig.	चन्द्रिका प्र० 2/11/13						
Beneficiary	National Educational Trust.	☒ Photo	☒ Thumb	☒ Index	☒ Middle	☒ Ring	☒ Little
Sig.							
Trustee	Sanjay Kumar						
Sig.	संजय कुमार 2/11/13						
Identified By	Sanjeev Kumar						
Sig.	संजीव कुमार 2/11/13						

SCORE Ver.3.0	Powered by InfoSystem and Solutions,Patna	Biometric Captured By 3300sop002

Scanned with OKEN Scanner

ट्रस्ट न्यासियों का नाम एवं पता

1. प्रो० डॉ० चन्द्रिका प्रसाद, पिता–स्व० जगदेव प्रसाद, मीरा बिगहा, पो०–कुर्था, थाना–मखदुमपुर, जिला–जहानाबाद–**सेटलर**

2. डॉ० संजय कुमार, पिता डॉ० चन्द्रिका प्रसाद, मो०–कोर्ट एरिया, जहानाबाद, थाना–जहानाबाद–जिला– जहानाबाद–**ट्रस्टी**

3. चन्द्र प्रकाश, पिता–प्रो०डॉ० चन्द्रिका प्रसाद, मो०– चिरैयाटॉड़, निकट देवी, स्थान, पो०–जी०पी०ओ०, थाना–कंकड़बाग, जिला–पटना–**ट्रस्टी**

1. ट्रस्ट का पूरा पता एवं निबंधन कार्यालय : **नेशनल एडुकेशनल डेवलपमेंट ट्रस्ट, पताः कोर्ट एरिया, थाना–जहानाबाद। मुख्यालयः–चन्द्रकुंज अपार्टमेंट,102,पटना डेन्टल हॉस्पीटल बिल्डींग, एक्जीविशन रोड चौक, पटना।**

2. **ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र : संपूर्ण भारत वर्ष**

3. **ट्रस्ट की संपत्ति : मो० 1,00,000/– (एक लाख)।**

4. **ट्रस्ट का प्रस्तावना** :राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी द्वारा स्थापित बुनियादी प्रयास और शासन की ओर से यदि अन्याय, जुल्म, अत्याचार के विरूद्ध में प्रदर्शन से आत्मदाह तक के कार्यक्रम अपनाये जाते रहे हैं, इन्ही सब उद्धेश्यों की पूर्ति एवं आजादी के बाद समाजिक समसरसता, जागरूकता एवं शैक्षणिक विकास हेतू किये जा रहे भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा निरंतर प्रयास होता रहा है।

संजय कुमार
2-11-13

5. **ट्रस्ट की उद्धेश्य** : भारत ही नहीं विश्व के इतिहास में बिहार की अपनी विशिष्ट भुमिका रही है। चाहे धर्म का क्षेत्र हो या राजनीति का या शिक्षा का क्षेत्र हो या आर्थिक जगत का बिहार ने मानव इतिहास में क्रान्तिकारी विचार को जन्म दिया है और संसार के एक बड़े भू–भाग को सैद्धान्तिक रूप से प्रभावित किया। बिहार ने अपना भौगोलिक परिसीम में आंचलिक संस्कृति को भी जन्म दिया धाधरा और बूढ़ी गंडक के बीच यदि लिच्छवी गणतंत्र का विकास हुआ वहीं पर गंगा के दक्षिण भाग में कल्याणकारी राजतंत्र का विकास हुआ जहां पर यह घोषणा की गयी "प्रजा सुखंसुखमराज्यम प्रजा जांच हिते हितम्"

चन्द्र प्रकाश
2/11/2013

समाज सेवा भारत की प्रभुता, राष्ट्रीयता, एकता अखंडता सर्वधर्म, समभाव एवं सामजिक समरसता के आधार पर सामाजवाद की स्थापना में पुर्ण निष्ठा और विश्वास रखते हुए बिहार की स्थिति, बिहार की पहचान, बिहार की आत्म सम्मान की रक्षा एवं हर क्षेत्र में उच्चतम तकनीकी शिक्षण प्रशिक्षण, सांस्कृति, पहचान समाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति पर समाजिक समरसता के परिप्रेक्ष्य में शोध एवं विश्लेषण तथ लोक स्तर पर लोक जागृति, लोक चेतना, लोक शक्ति के माध्यम से समाधान कर रास्ता ढूढंना मुख्य लक्ष्य होगा, जिसके फलस्वरूप बिहार की पिछड़ी जनता राष्ट्र की मुख्य धारा में अपनी सहभागिता स्थापित करते हुए सभी राज्यों की श्रेणी में उच्च शिक्षा के माध्यम से उच्चतर स्थान अर्जित कर राष्ट्र की अधिक मजबूत करने में पुर्ण सहयोग करेगा। इस कार्य के लिए यह ट्रस्ट निम्नलिखित विषयों पर अध्ययन शोध, शिक्षक, शिक्षण, प्रशिक्षण एवं जनसंपर्क अभियान के माध्यम से शिक्षा का प्रचार प्रसार केन्द्रीत एवं स्थापित करेगा।

(क) ट्रस्ट का उद्धेश्य है सांस्कृतिक जीवन के स्तीत्व के प्रारंभ से ऐतिहासिक स्थलों, स्मारकों, पुरावशेषों आदि को राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा में केन्द्रीत करना।

(ख) बिहार में लोगों को हर क्षेत्र में विकसित करने के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण, चिकित्सा सेवा, मानव सेवा, विभिन्न प्रकार के औषधी निमार्ण हेतु वृक्षारोपण करना।

(ग) ट्रस्ट ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में सरकारी तथा गैर सरकारी कर्मचारियों किसानों, मजदूरों एवं औद्योगिक श्रमिक, कच्चे–पक्के भवन एवं सड़क निर्माण में लगे श्रमिकों के मान–सम्मान, उनके रोजगार की व्यवस्था, आकस्मिक दुर्घटना आदि पर सहयोग प्रदान कर उनके अधिकार की रक्षा करना।

(घ) ट्रस्ट महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न, शोषण, अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए समाज में दहेज प्रथा उन्मूलन तथा दोषी व्यक्तियों को न्याय दिलाने की प्रयास करेगी। महिला शसक्तिकरण को मजबूत करना।

(ड़) सांस्कृतिक एंव ऐतहासिक स्थलों के विकास के लिए आवश्यक रचनात्मक कार्य करना।

Scanned with OKEN Scanner

(च) ट्रस्ट पंचायत प्रखंड, जिला, राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी एवं गैर सरकारी द्वारा संचालित मेला, नाटक, मनोरंजन, खेल–कुद सांस्कृतिक कार्यक्रम वाद–विवाद प्रतियोगिता कवि सम्मेलन आदि का आयोजन करते हुए समाज में फैले कुरितियों को दुर करने का प्रयास करेगें।

(छ) ट्रस्ट राज्य में शिक्षण प्रशिक्षण, प्रबंधन शिक्षा तकनीकी शिक्षा चिकित्सा शिक्षा, औद्योगिक एवं अन्य ग्रामीण रोजगार मुखी कार्यक्रम का संचालन करते हुए बिहार प्रदेश के ग्रामीण इलाका में भारत सरकार तथा राज्य सरकार के सहयोग से शीघ्रता–माँ कमला चन्द्रिका जी नीजि विश्वविद्यालय का स्थापना करेगा एवं राज्य एवं राज्य के बाहर के शिक्षकों, छात्र--छात्राओं को शिक्षण तथा प्रशिक्षण प्राप्त करने में मदद करेगा।

(ज) राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के बीच शिक्षा, शिक्षण प्रशिक्षण का प्रचार के साथ महिला सशक्तिकरण को मजबूती प्रदान करने की काम करेगा।

(झ) विद्यालयों, महाविद्यालों के प्राध्यापकों को शिक्षण कार्य के लिए प्रोत्साहित करना।

(ण) भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न विश्वविद्यायों अथवा अन्य शिक्षण संस्थानों के अध्ययन केन्द्र ट्रस्ट द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न शिक्षण संस्थानों में विभिन्न पाठ्यक्रमों का अध ययन केन्द्र खोलेगा साथ हीं यू0जी0सी0 द्वारा विभिन्न योजनाओं में अपने विभिन्न संस्थानो का नाम निबंधन नियमानुकूल करेगा।

ट्रस्ट द्वारा सचालित विभिन्न कॉलेजों का छात्रवास (Girls & Boys) अतिथिगृह, अस्पताल, का निर्माण अथवा पूरा भवन किसी भी बैंक द्वारा ट्रस्ट की संपतियों को मॉरगेज कर खरीद अथवा निर्माण किया जायेगा। इसके लिए संस्था पूरी तरह स्वतंत्र है और किन्ही ट्रस्टी को कोई आपति नहीं होगी।

ट्रस्ट द्वारा ई--निलामी अथवा सामान निलामी द्वारा विभिन्न संस्थानों की संपति खरीद सकता है।

Scanned with OKEN Scanner

ट्रस्ट द्वारा संचालित माँ कमला चन्द्रिका जी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, माँ कमला चन्द्रिका जी प्रबंधन संस्थान, माँ कमला चन्द्रिका जी नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल, माँ कमला चन्द्रिका जी महिला महाविद्यालय, माँ कमला चन्द्रिका जी आई0टी0आई0, जगदेव सुन्दरवशी नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल द्वारा अपने कॉलेज/संस्थान के छात्रावास तथा अपने नये भवन निर्माण हेतू अपने संस्था के चल–अचल संपति को राष्ट्रीयकृत बैंक/प्राईवेट बैंक/सहकारिता बैंक को मॉरगेज कर ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में किसी भी ट्रस्टी एवं सेटलर को कोई आपत्ति नहीं होगा। साथ हीं उपरोक्त संस्था को सुविधा हेतु अन्य जगह शिफ्ट कर सकते हैं।

उपरोक्त माँ कमला चन्द्रिका जी के नाम के आलावे जो भी दूसरे नाम का संस्थान खुलेगा, उस संस्था का सम्पति को भी बैंक से मॉरगेज कर संस्था के हित के लिए ऋण लिया जा सकता है और किसी भी सेटलर नहीं ट्रस्टी को आपत्ति नहीं होगा साथ हीं उपरोक्त संस्था को सुविधा हेतु अन्य जगह शिफ्ट कर सकते हैं।

(ट) ट्रस्ट ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेय जल, शौचालय, स्नानागार एवं जनसमूह को उत्प्रेरित करने हेतु कार्य करेगा।

(ठ) ट्रस्ट ग्रामीण क्षेत्रों में समुचित सिंचाई की व्यवस्था, नाले, नदी पईन अहरा, नहर की उड़ाही एवं खुदाई मरमम्मति एव तालाव कुआं निर्माण में सहयोग प्राप्त करना।

(ड) ट्रस्ट के उद्धेश्यों की पूर्ति हेतु उच्च शिक्षा की स्थापना, शिक्षक प्रशिक्षण, तकनिकी शिक्षण संस्थान महाविद्यालयों की स्थापना कार्य करने हेतु यथा संभव चल और अंचल संपति दान में तथा पट्टे पर क्रय अथवा किराये पर प्राप्त करना तथा देने का लक्ष्य होगा।

(ढ) समाज में व्याधि, रोगों से पीड़ीत लोगो को खास कर विकलांग नेत्रहीन को स्वालंबी बनाना तथा कृत्रिम उपकरण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।

Scanned with OKEN Scanner

(ण) ग्रामीण जनता के बीच शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कर जागरूकता पैदा करना।

(प) ट्रस्ट उच्च शिक्षा के मामले में शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान स्थापना करना एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता पैदा करने का काम करेगा।

(फ) ट्रस्ट ग्रामीण क्षेत्रों में चिल्ड्रेन पार्क, क्लब, चौपाल की स्थापना एवं विकाश करेगा। वहीं पर गंगा के दक्षिण भाग में कल्याणकारी राजतंत्र का विकास हुआ। जहां यह घोषणा की गयी ''प्रजा सुख सुखम राज्यम प्रजानाच हिते हितम''

नेशनल एडुकेशनल डेवलपमेंट ट्रस्ट,

नियमावली

1. ट्रस्ट का नाम – **नेशनल एडुकेशनल डेवलपमेंट ट्रस्ट**
2. ट्रस्ट का अर्थ – **नेशनल एडुकेशनल डेवलपमेंट ट्रस्ट**
3. सदस्य का अर्थ होगा – **नेशनल एडुकेशनल डेवलपमेंट ट्रस्ट**

1. कार्यकारणी का अर्थ – ट्रस्ट की कार्यकारणी समिति।

2. समिति का अर्थ – **नेशनल एडुकेशनल डेवलपमेंट ट्रस्ट,**

3. पदाधिकारी का अर्थ होगा– न्यासी एवं ट्रस्ट के अन्य सदस्य

4. वर्ष का अर्थ है– 01 अप्रील से 31 मार्च

5. ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र– संपूर्ण भारत होगा तथा इसकी शाखायें राज्य एवं जिला पंचायत स्तर तक होगी।

6. सदस्यता– कोई भी भारतीय नागरिक जो 18 वर्ष या उससे अधिक का हो धर्म जाति या वर्ण पर विचार किये बिना बिहार 5 पांच रूपये शुल्क देकर सदस्यता प्राप्त कर सकते है।

वशर्तें:–

(क) इस ट्रस्ट के क्रियाकलापों में अभिरूची रखते हो।

(ख) इस ट्रस्ट के नियमों को स्पष्टतः मानते हों।

(ग) सदस्यता शुल्क देने और नियम आदि बनाने का लिखित घोषणा करता हो।

(घ) उनकी सार्वजनिक संस्थाओं और जनकल्याण के कार्यो में निस्वार्थ सेवा की रूचि हो।

(ड़) ट्रस्ट के स्मस्त पत्र में जिन व्यक्तियों के हस्ताक्षर किया हो।

(च) ट्रस्ट ऐसे व्यक्तियों को भी सदस्य बना सकती है, जिनकी सेवाओं की उपयोगिता समझेगी।

(छ) सदस्य बनने के लिए आवेदन पत्र देना होगा। जिस पर ट्रस्टीयों की स्वीकृति आवश्यक होगी उस पर हस्ताक्षर का अधोखंडित हिस्सा को रसीद के रूप में प्राप्त कर लेगें।

10 (क) ट्रस्ट को मूर्त रूप देने में जिन महिला एवं सज्जनों ने सहयोग किया है, ट्रस्ट के संस्थापना ट्रस्टी होगें। ऐसी ट्रस्टीयों की सदस्यता आजीवन बनी होगी।

(ख) ट्रस्ट आम अधिकांश सदस्यों की विषय विशिष्ट व्यक्ति को संरक्षक सदस्य बना सकता है।

(ग) जो व्यक्ति ट्रस्ट को 5 रूपया का सदस्यता शुल्क देकर रसीद प्राप्त कर लिया है वो साधारण ट्रस्टी माने जायेंगें।

(घ) कार्यकारिणी समिति किसी विशिष्ट व्यक्ति को कार्यकारिणी समिति में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर सकती है। वो आमंत्रित सदस्य होगें।

11. सदस्यता के विशक्तः–

(क) स्वयं त्याग पत्र देने पर।

(ख) मृत्यु एवं पागल घोषित होने पर

(ग) ट्रस्ट के नियमों के विरूद्ध आचरण करने परं

(घ) न्यायालय द्वारा दंडित होने पर

(ड़) अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर।

12. कार्यकारणी समिति का चुनावः

क. 03 व्यक्तियों की होगी जिसमें न्यासी के आलावा अन्य साधारण सदस्य होगें

ख. कार्यकारिणी समिति पदाधिकारी एवं सदस्यों का निर्वाचित अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

ग. कार्यकारिणी समिति की अवधि तीन वर्ष की होगी।

घ किसी का कारणवस कोई पद रिक्त होगा तो उसकी पुर्ति के लिए कार्यकारिणी समिति अथवा न्यासी ट्रस्ट के किसी सदस्य को मनोनित कर सकती है।

13. कार्यकारणी समिति का कर्तव्य एवं अधिकारः

कार्यकारिणी समिति अपना निर्णय ट्रस्ट के नियमों के अनुसार करेगी समिति के निम्नांकित आधिकार होगें।

क. सदस्यता के लिए प्रार्थना पत्र पर विचार कर स्वीकृति देना।

ख. आवश्यकतानुसार अर्थ संग्रह करना एवं ट्रस्ट के नियमावली के अनुसार व्यय करना।

ग. किसी सदस्य का जिसका चरित्र संस्था के उद्धेश्य कुंठा घात पहुंचाता हो उसे सदस्यता से वंचित करना, वंचित करने के पूर्व उक्त सदस्य के स्पष्टीकरण लेना अनिवार्य होगा।

घ. वार्षिक विवरण तैयार करना उवं उसे वार्षिक अधिवेषण में पेश करना।

14. पदाधिकारी कर्तव्य–

क. प्रत्येक बैठक में उपस्थित होना और प्रबंधन्यासी अध्यक्ष द्वारा अध्यक्षता करना।

ख. कार्यकारिणी पर नियंत्रण रखना।

ग. समिति का कार्यवाही पुस्तिका पर हस्ताक्षर करना।

घ. बैठक में शांति व्यवस्था कायम रखना।

ड. बैठक में किसी विषय पर पक्ष–विपक्ष में तीन बार मतभेद होने पर निर्णय लेने का प्रबंध न्यासी हो अधिकार होगा।

15. पदाधिकारी के अधिकार एवं दायित्व

क. प्रबंध अध्यक्ष सह प्रबंध न्यासी

1. बैठक की अध्यक्षता करना तथा ऐसी कार्य करना जो संस्था के हित में उपयोगि हो।
2. विशेष परिस्थितियों में अपने निर्णणात्मक मत देना।
3. ट्रस्ट के कार्यवाहि हस्ताक्षर करना।
4. संस्था के कोष की रक्षा करना तथा अध्यक्ष एवं सचिव की स्वीकृति से व्यय करना।

16. कार्यकारिणी समिति का चुनावः

क. समिति की बैठक प्रत्येक दो माह पर होगी। अत्याधिक बैठक 24 घंटा पूर्व बुलाया जा सकती है।

ख. समिति की दो तिहाई सदस्यों की उपस्थित के कोरम की पुर्तिमानी जायेगी।

ग. बैठक में उपस्थित प्रत्येक सदस्य को केवल एम मत देने का अधिकार होगा।

घ. बैठक में उपस्थित प्रत्येक सदस्य को केवल एक मत देने का अधिकारी होगा।

ड. ट्रस्ट की बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से किसी भी प्रस्ताव का निर्णय होगा।

च. यदि ट्रस्ट का कोंई भी पदाधिकारी या सदस्य लगातार तीन बैठको में बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहें तो वह ट्रस्ट की सदस्यता से बंकिएचत हो जायेगा और उनका स्थान रिक्त माना जायेगा।

छ. ट्रस्ट की बैठक की सूचना सदस्यों को सात दिन पूर्व की जायेगी।

ज. यदि ट्रस्ट के कार्यकारिणी के तीन सदस्य किसी विषय पर विचार करने के लिए न्यासी को बैठक के एक सप्ताह के बाद–

बैठक बुलाने का अधिकार होगा। ऐसी बैठक की सूचना निर्धारित समय के दो तीन दिन पहले ट्रस्ट के सदस्यों को देना होगा तथा आवेदन में लिखित विषय पर विचार किया जायेगा।

ज. बैठक की तिथि महासचिव न्यासी, अध्यक्ष की राय लेकर निर्धारित करेगें।

17. **सामान्य समितिः**

क. सामान्य समिति में अधिकतम संख्या 51 होगी।

ख. समिति का कार्यकाल 03 तीन वर्ष का होगा।

ग. समिति के रिक्त स्थान पर अध्यक्ष पूर्ण नियुक्त कर सकेगें।

घ. सामान्य समिति **नेशनल एडुकेशनल डेवलपमेंट ट्रस्ट,** की शीर्षस्थ समिति की होगी। और इस समिति के अधीक्षक एवं नियंत्रण में ही केन्द्र का कार्य संचालन होगा।

ड़ **समान्य समिति के कर्तव्य एवं अधिकार**

क. आवश्यकता पड़ने पर सदस्यों एवं पदाधिकारियों का चुनाव सामान्य समिति की बैठक के द्वारा होगा।

ख. संस्था के वार्षिक प्रतिवेदन की समीक्षा करना।

ग. संस्था के आय–व्यय की स्वीकृति देना।

घ. शाखा कार्यालय के उपविधि का निर्माण करना।

19. सामान्य समिति के वार्षिक बैठक एवं कोरम–

क. वार्षिक बैठक दो प्रकार की होगी।

1. साधारण बैठक
2. असधारण बैठक

ख. साधारण बैठक वर्ष के बाद मार्च में होगी। अतिरिक्त जो बैठक होगी असाधारण वार्षिक बैठक कहलायेगी।

ग. साधारण बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व एवं असाधारण बैठक की

सूचना 10 दिन पूर्व सदस्यों को दी जायेगी। आवश्यक बैठक तीन दिन की सूचना पर कभी भी बुलाई जा सकती है।

घ. संस्था की तिहाइ सदस्यों की उपस्थिति से कोरम की पूर्ति मानी जायेगी। तथा कोरम की पूर्ति नहीं होने की स्थिति में बैठक स्थगित समझी जायेगी। स्थगित बैठक हेतु कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।

ड़ बैठक की सूचना डाक द्वारा या पर्ची द्वारा दी जायेगी।

क. न्यासी अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों में किसी सदस्य को उस दिन की बैठक के लिए अध्यक्ष चुन लिया जायेगा।

20. प्रखंड समिति–

राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्धारित नियम के अनुसार प्रखंड के अंर्तगत रहने वाले संस्था के सभी सदस्यों द्वारा प्रखंड स्तरीय अध्यक्ष का निर्वाचन होगा। अध्यक्ष 51 व्यक्तियों की कार्यकारिणी समिति का गठन कर सकेगा। जिसमें न्यासी अध्यक्ष को अविलम्ब अन्य 4 होगा। राज्य स्तरीय कार्यकारिणी समिति के निर्देशानुसार समय–समय पर प्रखंड स्तरीय कार्यक्रमों का संचालन होगा।

21. जिला स्तरीय ट्रस्ट समिति–

जिला स्तरीय न्यासी जिला स्तरीय समिति के सदस्य होगें और प्रखंड अध्यक्ष द्वारा मनोनित 05 सदस्य भी जिला स्तरीय सामान्यसमिति के सदस्य होगें जिला स्तररीय सामान्य समिति के सदस्य राज्य कार्यकारिणी समिति के निर्देशानुसार जिला न्यासी का निर्वाचन करेगा। जिला अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति, समिति के सदस्यों का कार्यकारिणी समिति गठित करेगा। जिला अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति एवं राज्य स्तरीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार ट्रस्ट के कार्यक्रमों को कार्यानिवत कराने के लिए जिम्मेवार होगी राज्य स्तरीय कार्यकारीणी समिति के अधीन ट्रस्ट के लक्षणों एवं उद्धेश्यों की प्राप्ति के लिए न्यासी पूर्ण रूप से जिम्मेंवार होगा।

Scanned with OKEN Scanner

22. **निधि कोषः**

संस्था का कोष समिति द्वारा निर्धारित राष्ट्रीकृत बैंक में संस्था के नाम से खोला जायेगा। जिसका संचालन प्रबंध न्यासी सह अध्यक्ष के वो न्यासी होगा जिसमें न्यासी अध्यक्ष से हस्ताक्षर अनिवार्य होगा।

23. **आय का श्रोतः**

संस्था के कार्यो के लिए कोष का संग्रह इस प्रकार होगा।

क. सदस्यता शुल्क

ख. दान,

24 संस्था के आय व्यय का विस्तृत लेखा जोखा रखा जायेगा और और प्रतिवर्ष समान्य .समिति द्वारा नियुक्त अंकेक्षण द्वारा कराया जायेगा।

25. सदस्य जंजा लेखा पंजी एवं कार्यवाही पंजी ट्रस्ट के मुख्यालय के कार्यालय में रहेगी वहां कोई भी सदस्य प्रबंध न्यासी सह अध यक्ष की स्वीकृति से उसका अवलोकन कर सकते है।

26. लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति के संरक्षण के लिए ऐसे सहित्य का प्रचार–प्रचार एवं प्रकाशन किया जायेगा जो राष्ट्रीय एकता,

अखंडता आदि के वाहक हों तथा सामाजिक कुरीतियों–कुप्रथाओं पर प्रहार करते हुए सभरष समाज के निर्माण में योगदान दें।

27. साहित्यिक सांस्कृतिक गति विधियों को बढ़ावा देने के लिए हर तरह की वैधानिक गतिविधियां संचालित करना।

28. सभी कानुनी कार्यवाही जो संस्था द्वारा होगी उसका संचालन प्रबंध न्यास के अध्यक्ष करेगें और उन्हें प्रबंध न्यासी अध्यक्ष की राय से वाकी नियुक्त करने का अधिकार होगा।

29. **नियमावाली का संशोधन–**

स्मृति पत्र एवं नियमावली में आवश्यकतानुसार संसोधन सामान्य समिति के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर होगा।

30. यदि किसी कारणवश इस संस्था का विघटन करना पड़े तो—

इसके लिए बुलाई गई विशेष समान्य समिति के 3/5 सदस्यों के वहुमत से प्रस्ताव पारित कर विघटन किया जा सकेगा। इससे कम वहुमत विघटन नहीं हो सकेगा। विघटन के उपरांत संस्था के चल अचल सपंति जो वचेगी वह सदस्यों या गैर सदस्यों में बाटी जायेगी वल्कि सामान्य उद्धेश्य व अन्य संस्था या सरकार को सामान्य समिति के 3/5 सदस्य का सहमति से दे ही जायेगा।

31 अन्य आवश्यक विषय जिसका उल्लेख यहां नहीं हो पाया है इसके संबंध में ट्रस्ट एवं इससे सबंधित नियमवली इस पर लागू होगी हमलोग कार्यकारिणी के अधोहस्ताक्षर सदस्य यह पारित करते हैं कि यह नियमावली की सच्ची प्रतिलिपि है।

32 यह कि **यह वसिका दिनांक 24.01.2007** को **दस्तावेज संख्या–04** के रूप में **पुस्तक संख्या–04** की **जिल्द संख्या– CD 2** में निबंधित एवं कूल **22** पृष्टों में संधारित किया गया, निबंधन कार्यालय द्वारा **नेशनल एडुकेशनल डेवलपमेंट ट्रस्ट,** पूर्व से कायम है। मगर चन्द सदस्यों के हट जाने के कारण ट्रस्ट के कार्यों में दिक्कत हो रहा है। जिसके कारण नये सदस्यों के साथ निबंधित तथा संशोधन कराया जा रहा है।

इस वसिका का सिलिप सं. 420

गवाहः

2.11.2013

1. संजीव कुमार
पिता - स्व. रामइकबाल सिंह
ग्राम - दिरकी
पता - थाना + पो॰ - जहानाबाद
जिला - जहानाबाद

2. योगेन्द्र प्रसाद पिता - चन्द्रदेव यादव
ग्राम - चैनपुर थाना कोंच। जिला गया
बिहार
2/11/13

Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly Stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. '64'. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act	**Rs. 5000/-**	Amt.Paid By N.J Stamp Paper	**Rs.**	**1000/-**
Addl.Stamp duty paid under Municipal Act	**Rs. 0/-**	Amt.paid through Bank Challan	**Rs.**	**6340/-**

Registration Fee

A1	**2000**	C	**0**	H1b	**0**	K1a	**0**	Lii	**0**
A8	**0**	D	**0**	H2	**0**	K1b	**0**	Liii	**0**
A9	**0**	DD	**0**	I	**0**	K1c	**0**	Mb	**0**
A10	**0**	E	**0**	J1	**0**	K2	**0**	Na	**0**
B	**0**	H1a	**0**	J2	**0**	Li	**0**	**TOTAL-**	**2000**

LLR + Proc Fee

LLR	**0**
Proc.Fee	**0**
Total	**0**

Service Charge

325

Total amont paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - 2325

Registering Officer
Jehanabad

Date: 02/11/2013

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Jehanabad on Saturday, 02nd November 2013 by Chandrika Prasad S/O Late Jagdev Pd. by profession Others. Status -

2/11/13

Signature/L.T.I. of Presentant **Date:02/11/2013**

Registering Officer
Jehanabad

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and Identified by the person (Identified by 'Sanjeev Kumar' age '35' Sex 'M', 'S/O Ram Eqbal Singh', resident of 'Erki Ps+dist;-Jehanabad'.), whose Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Registering Officer
Jehanabad

Date : 02/11/2013

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Jehanabad in Book 4 Volume No. 2 on pages on 123 -135 , for the year 2013 and stored in CD volume No. CD-1 year 2013 .The document no. is printed on the Front Page of the document.

Registering Officer
Jehanabad

Date : 02/11/2013

Token No. : 9178 **Year : 2013** **S.No. : 9116** **SCORE Ver.3.0** **Deed No . : 41**

Scanned with OKEN Scanner